न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच

प्रकीर्ण व्यवहार वाद संख्या–170/2025,

परवीना ––बनाम–– चुन्नू आदि।

C.N.R. NO.UPBH010066542025

19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर भी आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनकी ओर से अवसर हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के आदेश–पत्रक के परिशीलन से यह विदित होता है कि आवेदिका विगत तीन नियत तिथियों पर भी उपस्थित नहीं आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण को चलाने में आवेदिका की रूचि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रकीर्ण व्यवहार वाद आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण व्यवहार वाद सं०–170/2025, आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
J.O. Code No.UP 2017

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:33:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court